



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 216 राँची, मंगलवार,

11 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

16 मार्च, 2023

संख्या-5/आरोप-1-4/2021-19604 (HRMS)--श्री अनिल कुमार सिंह, झांप्र०से०(तृतीय बैच, गृह जिला-सारण), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, देवघर के पत्रांक-18/गो०, दिनांक 07.01.2021 द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना अथवा अवकाश स्वीकृत कराये मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं आमजनों के प्रति असंवेदनशीलता का आरोप प्रतिवेदित करते हुए उनके विरुद्ध निलंबन एवं कठोर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है ।

2. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में अधिसूचना सं०-1676 (hrms), दिनांक 15.02.2021 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया ।

3. संबंधित मामले में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1714/रा०, दिनांक 09.04.2021 के माध्यम से उपायुक्त, देवघर के पत्रांक-242/स्था०, दिनांक 25.03.2021 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-18188(hrms), दिनांक 24.11.2022 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-18, दिनांक 24.01.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसपर कारवाई प्रक्रियाधीन हैं। तत्काल इन्हें निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

4. अतः मामले के समीक्षोपरांत श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-सारण), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	ANIL KUMAR SINGH (110071165689)	श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-सारण), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	16/03/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
